

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर  
क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/2019/ दिनांक.-

आदेश

निम्नांकित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं/अतिरिक्त महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का अध्ययन अवकाश आर.एस.आर के नियम-110 एवं 112 के तहत उनकी स्वयं की प्रार्थना पर स्वीकृत किया जाता है:-

क्र0स0	कार्मिका का नाम	पदस्थापन स्थान	अवकाश अवधि
1	रजूबाला	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ददरेवा, खण्ड-राजगढ़, जिला चूरु	1.दिनांक 10.04 18 से 09.04 2020 तक 2 वर्ष का अध्ययन अवकाश। 2.दिनांक 10.04 2020 से 07.08 2020 तक 120 दिवस का उपार्जित अवकाश। 3.दिनांक 08.08 2020 से 09.04 2021 तक 245 दिवस का असाधारण अवकाश।
2	ममता	उप स्वास्थ्य केन्द्र साखू कोर्ट, खण्ड-राजगढ़, जिला चूरु	1.दिनांक 22.12 2017 से 21.12 2019 तक 2 वर्ष का अध्ययन अवकाश। 2.दिनांक 22.12 2013 से 23.02 2020 तक 64 दिवस का उपार्जित अवकाश। 3.दिनांक 24.02 2020 से 21.12 2020 तक 301दिवस का असाधारण अवकाश।
3	अजूबाला	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चैनपुरा छोटा, खण्ड- राजगढ़, जिला चूरु	1.दिनांक 10.04 2018 से 09.04 2020 तक 2 वर्ष का अध्ययन अवकाश। 2.दिनांक 10.04 2020 से 07.08 2020 तक 120 दिवस का उपार्जित अवकाश। 3.दिनांक 08.08 2020 से 09.04 2021 तक 245 दिवस का असाधारण अवकाश।

६६

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर  
दिनांक - 25/4/19

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/2019/762

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

7. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
8. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
9. प्रधानाचार्य, संबंधित नर्सिंग संस्थान।
10. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
11. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी
12. आदेश/रक्षित पत्रावली।

१

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर